अवतार सिंह पाश की कविता

काँटे का जख्म

(उस आदमी के नाम जिसके जन्म
से कोई संवत्शुरू नहीं होता)

वह बहुत देर तक जीता रहा
ताकि उसका नाम रह सके

धरती बहुत बड़ी थी
और उसका गांव बहुत छोटा
वह सारी उम्र एक ही झोंपड़ी में सोता रहा
वह सारी उम्र एक ही खेत में हगता रहा
और चाहता रहा
कि उसका नाम रह सके

पूरी उम्र में उसने सिर्फ तीन ही आवाजें सुनीं
एक मुर्गे की बाग थी
एक पशुओं के घुरकने की
और एक अपने ही मसूड़ों में रोटी चुभलाने की
टीलों की रेशमी रोशनी में
सुर्यास्त की आवाज उसने कभी न सुनी
बहार में फूलों के चटखनेकी आवाज उसने कभी न सुनी
सितारों ने भी कभी उसके लिए कोई गीत न गाया
पूरी उम्र वह सिर्फ तीन ही रंगों से वाकिफ रहा
एक रंग जमीन का था
जिसका नाम उसे कभी न आया
एक रंग आसमान का था
जिसके बहुत से नाम थे
लेकिन कोई भी नाम उसकी जीभ पर न चढ़ता था
एक रंग उसकी औरत के गालों का था
जिसका नाम लजाते हुए उसने कभी न लिया

मूलियां वह जिद से खा सकता था
बढ़कर भुट्टे चबाने की शर्त उसने कई बार जीती
लेकिन वह खुद बिना शर्त ही खाया गया
पके खरबूजों—जैसे उसकी उम्र के साल
बिना चीरे ही निगले गए
और कच्चे दूध—सी उसकी सीरत
बड़े स्वाद से पी ली गई
उसे कभी पता भी न चल सका
वह कितना सेहतमंद था
और यह लालसा कि उसका नाम रह सके
शहद की मक्खी की तरह
उसके पीछे लगी रही
वह खुद अपना बुत बन गया
लेकिन उसका बुत कभी भी जश्न न बन सका

उसके घर से कुएं तक का रास्ता
अभी भी सजीव है
लेकिन अनगिनत कदमों के नीचे
उसके कदमों के निशान दब गए हैं
अभी भी एक काँटे का जख्म हंसता है
अभी भी एक काँटे का जख्म हंसता है।

पेज 1 का शेष भाग

बी.के. अस्पताल पी एम ओ मेहता को मंत्री शिवचरण लाल शर्मा का संरक्षण ?

अक्ल के दुश्मन इस पी एम ओ का आदेश है कि एक बार मे केवल 2000 रुपए का ही डीज़ल खरीद कर लाया जाय, खत्म होने पर दोबारा फिर उतना ही लाया जाये। विदित है कि जनरेटर में डीज़ल खत्म होते ही वह हवा ले लेता है जिसे निकालने में 2-4 लिटर डीजल बर्बाद हो जाता है। पी एम ओ की इस 'अक्ल मंदी' के चलते आये दिन अस्पताल में बिजली का संकट बना रहता है। ऑप्रेशन करते-करते बिजली गुल हो जाती है तो आप्रेशन बीच में ही रूकने से बिगड़ जाता है। लेकिन पी एम ओ को इस बात की कतई कोई चिन्ता नहीं। जानकार बताते हैं कि 2000 रुपए का डीज़ल भी डी सी द्वारा धमकाने के बाद मंगाना शुरू किया है वरना पहले तो केवल 500 रुपए का ही मंगाया जाता था।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी डाक्टरों की सहायता के लिये रखे जाते हैं लेकिन अधिकांश ऐसे कर्मचारी पी एम ओ साहब की सेवा में तने खड़े रहते हैं, कुछ इनके घर पर तो कुछ इनके दफ़्तर के बाहर। दिनांक 28 जनवरी को इस संवाददाता ने स्वयं उस समय इसका अनुभव किया जब वह किसी का प्लास्टर कराने इनके अस्पताल गया था। प्लास्टर करने के लिये डॉक्टर की सहायता के लिये तैनात चतुर्थ कर्मचारी वहां मौजूद न होने से डॉक्टर प्लास्टर नहीं कर पा रहा था जिससे रोगी व उसके परिजन परेशान हो रहे थे।

अस्पताल की सुरक्षा के नाम पर 16 सुरक्षाककर्मी ठेके पर रखे हुए हैं जो केवल पी एम ओ साहब के दायें-बांयें घूमते रहते हैं। इनके अस्पताल पधारने पर ये लोग झपटकर इनकी गाड़ी की अगवानी करते हैं और दफ़्तर तक लिवा कर लाते हैं। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं, अस्पताल में आये दिन चोरियां होती है तो होती रहें, इनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। मज़ेदार बात तो यह भी बताई जाती है कि इनमें से कुछ एक की तो आयु भी 60 वर्ष से ऊपर है, मेडिकली भी फ़िट नहीं हैं। जब अन्य विभागों में तैनाती हेतु मेडिकल किया जाता है तो इनका क्यों नहीं किया जाता? दरअसल 70000 रुपए मासिक के इस छोटे से काम में भी घोटाले की बू आती है। कमीशनखोरी के आधार पर ठेकेदार को अनफ़िट गार्डस रखने की छूट दी गयी है। इतना ही नहीं काग़जों में दिखाये गये 16 गार्ड की जगह ड्यूटी पर केवल 7-8 ही रखे जाते हैं, बाकी का वेतन मिल बांट कर डकार लिया जाता है। गौरतलब है कि डॉक्टर मेहता नौकरी के वरिष्ठता क्रम में काफी जूनियर होने के बावजूद सांठ-गांठ के बल पर इस पद पर जमे बैठे हैं।

पेज 3 का शेष भाग

विज्ञापनों का फ़र्जीवाड़ा

इसके बाद उस व्यक्ति के लिए अपना माथा पीटने के सिवा और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं होती जो नौकरी मिलने की आस में पांच सौ-हज़ार रुपये देने को तैयार हो जाते हैं और फ़र्जी कंपनियां पर्याप्त धन बटोर लेने के बाद भाग खड़ी होती हैं। पुलिस भी उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर पाने में असमर्थ हो जाती है, क्योंकि उनका कोई पता-ठिकाना तो होता नहीं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अख़बारों का प्रबंधन इस तरह के फ़र्जी विज्ञापन क्यों छापता है। ज़ाहिर है, मुनाफ़े के लिये।

खास बात यह है कि ऐसे वर्गीकृत विज्ञापन छापने के साथ उसी पेज पर एक वैधानिक चेतावनी भी छापी जाती है कि जिसमें कहा जाता है कि 'पहले विज्ञापन के बारे में पूर्ण जांच-पड़ताल कर लें तब कदम उठायें।

समाचार पत्र उपरोक्त किसी भी विज्ञापन के बारे में किसी पाठक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।' इसका मतलब है कि समाचार पत्र संचालकों को यह जानकारी होती है कि ये भ्रामक विज्ञापन हैं, तभी तो वे इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेते। अन्य विज्ञापनों के साथ कोई वैधानिक चेतावनी नहीं छापी जाती। बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा निर्मित उपभोक्ता वस्तुओं के विज्ञापन के साथ यह कभी नहीं छापा जाता कि खरीदने के पहले इन वस्तुओं की पड़ताल कर लें, अन्यथा इसके लिये अख़बार जिम्मेवार नहीं होगा। ऐसा इसलिये कि ये विज्ञापन भ्रामक नहीं होते,

क्या अख़बार संचालकों को यह मालूम नहीं कि भ्रामक विज्ञापन छापना एक तरह का अपराध है। यह आम मानसिकता है कि अख़बारों में छपी चीज़ों को लोग विश्वसनीय मानते हैं। अधिकांश लोग विज्ञापनों को तो पढ़ लेते हैं, पर छोटे-छोटे अक्षरों में छपी वैधानिक चेतावनी पर उनका ध्यान नहीं जाता। लेकिन अख़बार में छपे विज्ञापनों के आधार पर अगर कोई ठगी का शिकार होता है तो उसकी नज़रों में अख़बार की विश्वसनीयता नहीं रह जाती। आज बड़े पूंजीपतियों द्वारा संचालित मीडिया कंपनियों के पास धन की कोई कमी नहीं है। बड़ी-बड़ी कंपनियों के विज्ञापन मिलने के साथ ही सरकारी विज्ञापन भी उन्हें बहुतायत में मिलते हैं। अगर वे भ्रामक विज्ञापन न छापें तो भी उनकी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अधिक से अधिक धन कमाने की लालच और मुनाफ़ाखोरी की नीति के कारण वे भ्रामक विज्ञापन छाप कर जनविरोधी कार्य कर रहे हैं। अख़बार में विज्ञापन छाप कर वे अंध विश्वास, ठगी और देह-व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं।

ऐसे में जनपक्षधर लोगों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे अख़बारों द्वारा भ्रामक और आपत्तिजनक विज्ञापन छापे जाने पर रोक लगाने का प्रयास करें। भ्रामक विज्ञापन सभी अख़बार प्रकाशित करते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ अन्य भाषाओं में छपने वाले अख़बार ऐसे विज्ञापन छापने में एक-दूसरे से होड़ कर रहे हैं। क्या अख़बारों की इस मुनाफ़ाखोरी की प्रवृति पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता? व्यापक जनहित में ऐसा करना जरूरी है। क्या भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू इसका संज्ञान लेंगे?

बेशक भारतीय प्रेस परिषद् को यह अधिकार नहीं है कि वह इन भ्रामक विज्ञापन छापने वाले अख़बारों पर कानूनी कार्रवाई कर सके। पर वह सरकार के संज्ञान में यह बात तो ला ही सकती है। सरकार पुलिस एवं अपराध नियंत्रण करने वाली अन्य एजेंसियों के माध्यम से संदेह के दायरे में आने वाले तमाम विज्ञापनों की असलियत खोज कर आपराधिक मुकदमा दर्ज करे और साथ ही संबंधित अख़बार को भी षडयंत्र की धारा में लपेटें।

-मनोज कुमार झा

क्या आपने इससे ज्यादा बेशर्मी भरा आदेश पढ़ा है ?

उद्योगपति और सरकार छत्तीसगढ़ में भूमि अधिग्रहण के लिये नये-नये हथकंडे अपनाते रहते हैं। सरकारी अधिकारी भी कंपनी से मिलकर आम जनता की जमीन हड़पने में लगे रहते हैं। ऐसे में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि अधिकारी जनता के प्रति जिम्मेदार है या कंपनियों के। एक नया हथकंडा अपनाते हुए सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि जो भी अधिकारी विशेष प्रयास करते हुए भूमि अधिग्रहण को जमीन पर उतारेंगे उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में भू-अर्जन अवार्ड की 10 प्रतिशत राशि मिलेगी। यानी अब करोड़ों रुपया अधिकारियों के जेब में वैधानिक रूप से जायेगा। शायद ही कभी भूमि सुधार या किसी और दूसरे जनप्रिय कार्य में ऐसा कोई आदेश जारी हुआ हो।

आदेश कुछ यूं है, 'सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन का कार्य शीघ्रता से कराने हेतु इस काम में लगे हुए अधिकारियों, कर्मचारियों के लिये पर्याप्त इन्सेन्टिव देने के उद्देश्य से शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस संबंध में होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति के लिये भूअर्जन करवाने वाले विभागों और संस्थानों से सर्विस चार्ज वसूल किया जायेगा, जो भू अर्जन आवर्ड की दस प्रतिशत राशि होगी।'

इसका मतलब यह है कि अधिकारी अगर किसानों की जमीन अधिग्रहण के लिये विशेष कोशिश करें तो उन्हें लाखो नहीं करोड़ों रुपये मिलेंगे। यह एक बेशर्मी भरा आदेश है। राज्य में पहले ही जनहित और कानून को ताक में रखकर भूमि अधिग्रहण किया जाता रहा है। आने वाले दिनों में इस 'लोभ' के चलते इसमें और तेजी आने की पूरी आशंका है।

-लखन सिंह

इसका मतलब यह है कि अधिकारी अगर किसानों की जमीन अधिग्रहण के लिये विशेष कोशिश करें तो उन्हें लाखो नहीं करोड़ों रुपये मिलेंगे। यह एक बेशर्मी भरा आदेश है। राज्य में पहले ही जनहित और कानून को ताक में रखकर भूमि अधिग्रहण किया जाता रहा है। आने वाले दिनों में इस 'लोभ' के चलते इसमें और तेजी आने की पूरी आशंका है।

मज़दूर मोर्चा

नियमित पढ़ने हेतु पाठकगण अपने हॉकर से संपर्क करें। जो हॉकर, आपके घरों में दैनिक अखबार डालते हैं, आपके आदेश पर मज़दूर मोर्चा भी डालेंगे। कोई दिक्कत हो तो दीक्षित न्यूज़ एजेंसी से 9811159238 पर संपर्क करें।

'मज़दूर मोर्चा' प्रिंटफोर्ट, नेहरू ग्राउंड पर भी उपलब्ध है।